

	1	2	3	4
<b>ON BEHALF OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (CENTRAL WATER COMMISSION)</b>				
1	Bhagirath (Patrika)	Quarterly	Hindi	2,000
2	Bhagirath	Quarterly	English	4,000
<b>ON BEHALF OF THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS</b>				
1	Indian & Foreign Review	Fortnightly	English	15,000

58 वर्ष की आयु के पश्चात सरकारी सेवा में नियुक्ति

4048. श्री नबाब सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 14 दिसम्बर, 1977 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3797 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यवेक्षी श्रेणी के स्टाफ प्वाइंटिस्टों को लम्बी अवधि के ठेके पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त करके तथा उन्हें पेंशन देने सम्बन्धी नियम बना कर कल्याणकारी राज्य की नीति का अनुसरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा संभवतः कब किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) पर्यवेक्षी तथा अन्य श्रेणियों के स्टाफ प्वाइंटिस्टों को आकाशवाणी में लम्बी अवधि के ठेके पर 58 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया जाता है। 58 वर्ष की आयु पर पुनरीक्षण करने पर उनको 60 वर्ष की आयु तक काम करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) स्टाफ प्वाइंटिस्ट को भी 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त करने का फलहाल

कोई प्रस्ताव नहीं है। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं हैं। वे अंशदायी अविध्य निर्वाह निधि के लाभों के हकदार हैं। जहां ठेके की शर्तों के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें ग्रेज्युटी भी दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन के परिवहन मूनिटों के कार्यकरण की जांच

4049. श्री नबाब सिंह चौहान : श्री टी० एस० नेगी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 22 फरवरी, 1978 के अतारंकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 फरवरी, 1978 को दिया गया उत्तर वही था जो 22 जून, 1977 के अतारंकित प्रश्न संख्या 1369 और 20 जुलाई, 1977 के अतारंकित प्रश्न संख्या 4156 का दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो दस महीने के बाद भी जांच पूरी न किये जाने के क्या कारण हैं; और